# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
## (अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
## पंचायत रिवीजन संख्याः 15/2017
## दायर दिनांकः 03.08.2017
## निर्णय दिनांक 23.02.2026

**—: अनवान :—**

श्रीमती चुन्नी देवी पत्नि प्रतापर्मल जी भांड आयु वयस्क निवासी बस स्टेण्ड भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

— **निगराकार**

**बनाम**

1. श्री माधुसिंह पिता लालसिंह जी रावत आयु वयस्क निवासी हाल भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत भीम जरिये सचिव ग्राम पंचायत भीम पंचायत समिति भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

— **गैर निगराकारगण**

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा संख्या 2874 दिनांक 06.08.2012 के विरूद्ध निगरानी**

**उपस्थित :—**

1. श्री मुकेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम ग्राम पंचायत भीम द्वारा पट्टा संख्या 2874 दिनांक 06.08.2012 से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निवेदन किया कि अन्दर हल्का आबादी ग्राम भीम के बस स्टेण्ड के पश्चिम दिशा में निगराकार के स्वामित्व व आधिपत्य का मकान स्थित रहा। दक्षिण प्रार्थीया के मकान के उत्तर में बाबुसिंह का मकान एवं मोहनलाल का मकान स्थित हैं यानि प्रार्थीया के मकान के एक तरफ बाबुसिंह का मकान तथा दुसरी तरफ मोहनलाल का मकान हैं तथा प्रार्थीया के मकान के पूर्व में प्रार्थीया द्वारा छोडी गई गली एवं उसके पूर्व में भोलाराम का मकान हैं एवं प्रार्थीया के मकान के पश्चिम में खाली भूखण्ड स्थित रहा उक्त मकान पर प्रार्थीया एवं उसके परिवार वालो का 50 वर्षों से भी अधिक समय से आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग रहा हैं और इस सम्पति के संबंध में ग्राम पंचायत भीम द्वारा प्रार्थीया को पट्टा दिया। जिसमे सहवन से दक्षिण के पडौसी मोहनलाल को उत्तर का पडौसी एवं दक्षिण का पडौसी उत्तर बाबुसिंह को का पडौसी दर्शित कर दिया। प्रार्थीया के उक्त मकान के पश्चिमी भाग में तीन कमरे बने हुए रहे और आगे तिबारी स्थित रही। प्रार्थीया के उक्त मकान के दक्षिणी भाग में एक कमरा व तिबारी वर्ष 2007 में श्री प्रभु सिंह को किराये पर दिया तो उसकी सुविधा के लिए प्रार्थीया ने दक्षिणी भाग में पीछे बने हुए कमरे के आगे लेट्रिन बाथरूम और बनवाया और इसे प्यारचन्द को किराये पर दिया। विपक्षी संख्या 1 अजमेर जिले का रहने वाला हैं और पुलिस विभाग में नौकरी करता हैं उसकी पुलिस थाना भीम में नौकरी होने पर प्यारसिंह का नजदीकी होने के कारण विपक्षी संख्या 01 इसी मकान में प्यारसिंह के साथ रहने लगा, प्रभु सिंह 7–8 वर्ष हुए इस मकान से चला गया और माधुसिंह, प्रभु सिंह के अनुसार ही इस मकान में किरायेदार की हैसियत से रहता चला आ रहा हैं। प्रार्थीया अनपढ वृद्ध महिला है प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या एक को मकान खाली कर देने के लिए कहा तो विपक्षी संख्या एक टालमटुल करने लगा और उसकी पत्नि से गाली ग्लोच कराने लगा तथा धमकीया देने लगा कि मैं पुलिस में हूं मेरी बहुत पहुंच हैं और मेने तो इस हिस्से का पट्टा भी ग्राम पंचायत से मिलकर बनवा लिया हैं। प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत में जानकारी कर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या एक को प्रार्थीया के उपर वर्णित पडौसो के मध्य की सम्पति का पट्टा जारी नहीं करने और यदि कोई पट्टा जारी किया हैं तो उसे निरस्त करने का निवेदन किया तो विपक्षी संख्या दो प्रार्थीया को यह आश्वस्त किया कि यदि ग्राम पंचायत विपक्षी 1 जारी किया तो उसको संख्या एक के पट्टा को निरस्त करवा देगी। प्रार्थीया विपक्षी संख्या दो के आश्वासन व विश्वास में रही। प्रार्थीया अभी 15 दिन हुए विपक्षी संख्या दो के यहा पट्टे की जानकारी करने गई तो उसे कोई जानकारी नहीं दी गई और प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या एक को मकान खाली कर देने को कहा तो इन्कार हो गया और काफी समय से किराया भी अदा नहीं किया हैं और गलत रूप से विपक्षी संख्या एक ने विपक्षी संख्या दो से मिलीभगत कर पैरा संख्या एक में वर्णित प्रार्थीया के मकान के दक्षिणी भाग का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

157 (1) के तहत् प्रांप्त कर लिया। आक्षेपित पट्टा जारी करने में विधि सम्बन्धि एवं तथ्य सम्बन्धि भूल की हैं। आक्षेपित पट्टा मिथ्या कथन कर एवं ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर प्राप्त किया हैं। यह पट्टा अन्तर्गत धारा 157 क राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत् जारी किया गया हैं वह गलत रूप से विपक्षी संख्या एक को जारी किया गया हैं उक्त मकान प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य का हैं, प्रार्थीया की सम्पति के भाग का ग्राम पंचायत भीम को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था ग्राम पंचायत भीम ने विपक्षी संख्या एक के प्रभाव में आकर बिना कोई जांच किये जो पट्टा जारी किया जो अवैध होकर काबिल खारीज के हैं। विपक्षी संख्या एक ग्राम भीम का निवासी नहीं हैं वह जिला अजमेर का रहने वाला हैं और पुलिस विभाग में नौकरी होने से भीम में आया उसका कोई पुश्तैनी व पुराना मकान भीम में नहीं रहा वह प्रभु सिंह के साथ उसका नजदीकी होने के कारण रहता आया और के हिसाब से प्रार्थीया ने विश्वास में उसे इस मकान में रहने दिया प्रार्थीया के अनपढ होने का नाजायज लाभ उठा कर विपक्षी संख्या एक ने अपने प्रभाव का उपयोग कर विपक्षी संख्या दो से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध पट्टा प्राप्त किया जो काबिल खारीज के हैं। प्रार्थीया के मकान के उत्तर व दक्षिण का पडौस बाबुसिंह व मोहनलाल हैं और इसे जानते व मानते हुए ग्राम पंचायत ने प्रार्थीया के पक्ष में पूर्व में ही पट्टा जारी कर रखा हैं इसके बावजुद भी प्रार्थीया एवं मोहनलाल के मकान के मध्य कोई मकान विपक्षी संख्या एक का स्थित नहीं रहा क्योंकि मोहनलाल से सटा हुआ तो मकान प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य का हैं जिस संबंध में ग्राम पंचायत ने विधिवत् प्रार्थीया के पक्ष में पट्टा जारी कर रखा हैं इस तथ्य को जानते हुए भी ग्राम पंचायत ने जो पट्टा जारी किया वह अवैध हैं। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पट्टा संख्या 2874 दिनांक 06.08.2012 को जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 02 के बावजूद सूचना के लगातार नियत पेशी पर अनुपरस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 10.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। किन्तु ग्राम पंचायत भीम के पत्र क्रमांक 2021–22/83 दिनांक 22.09.2021 से उक्त पट्टा पत्रावली पंचायत के रेकार्ड में उपलब्ध नही होना बताया हैं।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन

किया कि ग्राम भीम के बस स्टेण्ड के पश्चिम दिशा में निगराकार के स्वामित्व व आधिपत्य का मकान स्थित रहा। दक्षिण प्रार्थीया के मकान के उत्तर में बाबुसिंह का मकान एवं मोहनलाल का मकान स्थित हैं यानि प्रार्थीया के मकान के एक तरफ बाबुसिंह का मकान तथा दुसरी तरफ मोहनलाल का मकान हैं तथा प्रार्थीया के मकान के पूर्व में प्रार्थीया द्वारा छोडी गई गली एवं उसके पूर्व में भोलाराम का मकान हैं एवं प्रार्थीया के मकान के पश्चिम में खाली भूखण्ड स्थित रहा उक्त मकान पर प्रार्थीया एवं उसके परिवार वालो का 50 वर्षों से भी अधिक समय से आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग रहा हैं और इस सम्पति के संबंध में ग्राम पंचायत भीम द्वारा प्रार्थीया को पट्टा दिया। जिसमे सहवन से दक्षिण के पडौसी मोहनलाल को उत्तर का पडौसी एवं दक्षिण का पडौसी उत्तर बाबुसिंह को का पडौसी दर्शित कर दिया। प्रार्थीया के उक्त मकान के पश्चिमी भाग में तीन कमरे बने हुए रहे और आगे तिबारी स्थित रही। प्रार्थीया के उक्त मकान के दक्षिणी भाग में एक कमरा व तिबारी वर्ष 2007 में श्री प्रभु सिंह को किराये पर दिया तो उसकी सुविधा के लिए प्रार्थीया ने दक्षिणी भाग में पीछे बने हुए कमरे के आगे लेट्रिन बाथरूम और बनवाया और इसे प्यारचन्द को किराये पर दिया। विपक्षी संख्या 1 अजमेर जिले का रहने वाला हैं और पुलिस विभाग में नौकरी करता हैं उसकी पुलिस थाना भीम में नौकरी होने पर प्यारसिंह का नजदीकी होने के कारण विपक्षी संख्या 01 इसी मकान में प्यारसिंह के साथ रहने लगा, प्रभु सिंह 7–8 वर्ष हुए इस मकान से चला गया और माधुसिंह, प्रभु सिंह के अनुसार ही इस मकान में किरायेदार की हैसियत से रहता चला आ रहा हैं। प्रार्थीया के मकान के दक्षिणी भाग का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत् प्रांप्त कर लिया। आक्षेपित पट्टा जारी करने में विधि सम्बन्धि एवं तथ्य सम्बन्धि भूल की हैं। आक्षेपित पट्टा मिथ्या कथन कर एवं ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर प्राप्त किया हैं। यह पट्टा अन्तर्गत धारा 157 क राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत् जारी किया गया हैं वह गलत रूप से विपक्षी संख्या एक को जारी किया गया हैं उक्त मकान प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य का हैं, प्रार्थीया की सम्पति के भाग का ग्राम पंचायत भीम को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था ग्राम पंचायत भीम ने विपक्षी संख्या एक के प्रभाव में आकर बिना कोई जांच किये जो पट्टा जारी किया जो अवैध होकर काबिल खारीज के हैं। विपक्षी संख्या एक ग्राम भीम का निवासी नहीं हैं वह जिला अजमेर का रहने वाला हैं और पुलिस विभाग में नौकरी होने से भीम में आया उसका कोई पुश्तैनी व पुराना मकान भीम में नहीं रहा वह प्रभु सिंह के साथ उसका नजदीकी होने के कारण रहता आया और के हिसाब से प्रार्थीया ने विश्वास में उसे इस मकान में रहने दिया प्रार्थीया के अनपढ होने का नाजायज लाभ उठा कर विपक्षी संख्या एक ने अपने प्रभाव का उपयोग कर विपक्षी संख्या दो से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध पट्टा प्राप्त किया जो काबिल खारीज के हैं। अतः प्रार्थना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है कि निगराकार की निगरानी याचिका मंजूर की जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी सं0 1 को जारी किया गया। उक्त पट्टा निरस्त/अपास्त किया जाए।

अधिवक्ता गैर निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैर निगराकार द्वारा जो पट्टा लिया गया है वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 157(1) में लिया गया है। वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 01 द्वारा वर्ष 2012 में प्रभुसिंह पुत्र गणपत सिंह से खरीदा था। और तब से वर्तमान तक विपक्षी संख्या 01 का कब्जा है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तो की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत भीम द्वारा अप्रार्थी श्री माधुसिंह के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 06.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। पत्रावली में ग्राम पंचायत भीम का पत्र दिनांक 22.09.2021 उपलब्ध है, जो इस न्यायालय को संबोधित किया गया है। जिसमें यह अंकित किया गया है कि विवादित पट्टा संख्या 2874 दिनांक 06.08.2012 की पत्रावली पंचायत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी श्री माधु सिंह के अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उसमें ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रति नगरपालिका भीम से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई।

इस पत्रावली की फोटोप्रति का अध्ययन करने पर यह प्रकट हुआ कि पत्रावली में संलग्न आबादी भूमि का निरीक्षण पत्र आधे से अधिक खाली है, तथा इसमें बिंदु संख्या क, ख, ग, घ में कोई अंकन नहीं किया गया है। मूल्यांकन के संबंध में कोई एंट्री नहीं है। प्रार्थी का मकान पर कब से और कितने सालों से कब्जा है, यह भी अंकन नहीं किया गया है। तथा मात्र दो पंचों द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है, जिस पर कोई भी दिनांक अंकित नहीं है। निर्णय पत्र, जो कि सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित है, उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। जो आक्षेप आमंत्रित करने हेतु सूचना निकाली गई, उस पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। साथ ही अन्य प्रपत्रों पर भी कोई दिनांक अंकित नहीं है। पंचों द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें मात्र एक पंच श्री मोहन दास के हस्ताक्षर हैं। यहाँ पर अप्रार्थी ने जिस आधार पर आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त किया है, उसका आधार श्रीमती चुन्नी बाई के विक्रय पत्र को बनाया गया है, जो कि एक अपंजीकृत दस्तावेज है। साथ ही श्री प्रभु सिंह द्वारा श्री माधु सिंह को भी यह पट्टा बेचा गया था, वो भी अपंजीकृत है। अजमेर विद्युत वितरण निगम का बिजली का बिल श्री प्रभु सिंह के नाम पर है, पर यह कनेक्शन किराएदार द्वारा भी लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा श्री माधु सिंह को निर्माण स्वीकृति दिनांक 05.08.2023 को जारी की गई है। परंतु साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

13.06.2013 को यह पट्टा माधु सिंह को गलत तथ्यों के आधार पर अनियमित तौर पर जारी होना बताया गया है, तथा उसे निरस्त करने की कार्यवाही करने का भी निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिखा गया है।

अतः यहाँ पर यह जाहिर हुआ है कि विपक्षी संख्या 01 को जो विवादित पट्टा संख्या 2874 दिनांक 06.08.2012 जारी किया गया है, वह पूर्णतः नियमों व प्रक्रियाओं की अवहेलना करके जारी किया गया है, जो दस्तावेजी साक्ष्य जो कि स्वयं विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे साबित होता है। अतः निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

**:: आदेश ::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा संख्या 2874 दिनांक 06.08.2012 को निरस्त किया जाता है

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद